

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत प्राचीन सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- झोपडा

प्रकरण संख्या- 273/25

दिनांक- 3-10-2025

उत्तमान

श्री मुरारीलाल पुत्र  
वजरांग जाति मीना

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दरतावेज, द्वारा  
हल्का झोपडा भू अ. नि. शिवबतगाड़ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की  
रिपोर्ट/अनुशाषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत  
ग्राम झोपडा 40 हठ झोपडा की वर्तमान स्थायी  
अमावसी के खाता संख्या 251 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को  
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमाद के आदेश दिये  
जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहना आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जागी है।
1.	नाम	मुरारी पुत्र वजरांग जाति मीना	मुरारीलाल पुत्र वजरांग मीना

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री मुरारीलाल पुत्र वजरांग मीना

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

